

**VIDHAN SABHA QUESTION**  
**MOST URGENT**  
**OUT TODAY**

**DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING**  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
49-SHAM NATH MARG, DELHI-110054  
Fax No.:23818298; E-mail: dagri@sansad.nic.in

No. F.8/(01)/2015/DAM/VSQ/2025.

Dated: 07.08.2017

To,  
✓ **The Deputy Secretary (Question),**  
Delhi Legislative Assembly Secretariat,  
Old Sectt., Delhi-110054.

Subject: **Submission of reply to Un-starred Question No. 60 raised by Sh. Bijender Gupta, MLA listed for 08.08.2017**

Sir,

I am directed to forward herewith **100** copies of reply to Un-starred Question No. 60 raised by Sh. Bijender Gupta, MLA listed for 08.08.2017 pertaining to the Development Department with the request that the same may be placed before the House on the day fixed for it. **(with C.D)**

*This issues with the approval of Competent authority*

Yours faithfully,

*(Signature)*  
07/08/17  
(Amita Suman)

Deputy Director (AM)

**Encl. As above.**

No. F.8/(01)/2015/DAM/VSQ/

Dated: 07.08.2017

Copy forwarded to following for information and necessary action:

1. Deputy Director, Directorate of Information & Publicity, Old Sectt., Delhi.
2. PS to Secretary-cum-Commissioner (Development), 5/9 Under Hill Road, Delhi.
3. PS to Director (AM), DAM, Delhi.

*(Signature)*  
(Amita Suman)  
Deputy Director (AM)

## विकास विभाग (कृषि विपणन निदेशालय)

अतारांकित प्रश्न संख्या:  
दिनांक  
प्रश्नकर्ता का नाम

७०  
०८.०८.२०१७  
श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक

प्रश्न	उत्तर
क) इस समय कितनी मण्डियों की कमेटियों पूर्ण रूप से गठित है ?	वर्तमान में सभी सातों मण्डियों की समितियों के गठन सम्बन्धी प्रक्रिया जारी है।
ख) क्या इन मण्डियों में कौन से सदस्य किस आधार पर मनोनित किए गए हैं?	- वही -
ग) क्या इन कमेटियों के गठन की कानूनी रूप से भली भाँति जाँच करवा ली गई थी?	- वही -
घ) क्या इन मण्डियों की कमेटियों में केवल किसानों, ट्रेडर्स क्वालिफाइड कमीशन एजेंटों तथा तोलने वाले मजदूरों को ही प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है?	सभी मण्डियों के समितियों में किसानों, ट्रेडर्स व कमीशन एजेंटों तथा तोलने वाले मजदूरों के अतिरिक्त दिल्ली कृषि विपणन समिति (विनियम) अधिनियम, १९७८ की धारा २७ व ३६ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
ङ) क्या उपरोक्त निर्माता का उल्लंघन करते हुए राजनैतिक पार्टी के सदस्यों को मनोनित किया गया है?	जी नहीं, उपरोक्त (घ) के अनुसार किया जाता है।
च) क्या इन कमेटियों में चुने हुए प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है?	जी हाँ, चुने हुए प्रतिनिधियों को नियमानुसार सम्मिलित किया जाता है।
छ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?	विवरण के लिए अनुलगक का अवलोकन करें।
ज) यदि इन कमेटियों में चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका कारण क्या है?	बिन्दु (च) में दिये गये उत्तर के अनुसार चुने हुए प्रतिनिधियों को समितियों में नियमानुसार सम्मिलित किया जाता है।

अनुसूचक

(दिल्ली असाधारण गजट खंड-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

4B शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

फैक्स सं 23818298, ई-मेल का पता: [dagri@sansad.nic.in](mailto:dagri@sansad.nic.in)

दिनांक 20.12.2016

अधिसूचना

सं.एफ 8(107)/2016/डी0ए0एम/एफ0आर0/ 7903 अधिसूचना सं. सं.एफ 8(107)/2016/डी0ए0एम0/एफ0आर0/ 7502 दिनांक 08.12.2016 के अनुसूचन में और 12.12.2016 को हुए चुनावों का विवरण, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (दुाना); नियमावली, 2000 के नियम 59 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होने पर नौ, राष्ट्रीय मितल, निदेशक (कृषि विपणन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा उपर्युक्त नियमों के निचन 60(1) के अंतर्गत न्यूनक निर्वाचन क्षेत्र के जगने वार्णित, बयनित। राष्ट्रों के नए एवं पत्तों को अधिसूचित करती हूँ :-

क्र. संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चयनित प्रत्यक्ष का नाम	पता
1.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से दिल्ली कृषि विपणन परिषद का एक सदस्य	श्री मेठा राम कृपलानी	ए-200, राज्डी मंडी आजदपुर, दिल्ली-35.
2 (क)	कू030वि0स0 (रा0म0म0) आजदपुर में "लेकर सीट" के लिए कू030वि0स0 आजदपुर के लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से दो सदस्य	1. श्री अजित महाराज 2. श्री मजर सिंह	1464/85 पंजाबी नौ0 सब्जी मण्डी पंटा पर, दिल्ली-7 ए-356, नई सभ्डी मंडी आजदपुर, दिल्ली-33.
(ख)	कू030वि0स0 (रा0म0म0) आजदपुर में "अंगन सीट" के लिए किसी भी विपणन समिति के लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से एक सदस्य	श्री अमित कुमार पुराना	श्रीभी-26वीं, शालीमार बाग, दिल्ली-88.
3.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से कू030वि0स0, केशोपुर के दो सदस्य	1. श्री अजय रात 2. श्री जे. पी. असगनो	लखनौड 199-ए, तिराड गड, नई दिल्ली-110018. एस-2/43ए, पुराना महावीर नगर, तिलक नगर, दिल्ली-18.
4.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से कू030वि0स0, नरेला के दो सदस्य	1. श्री अरुण कुमार 2. श्री राजकुमार	2046, पुरानी जगाज मण्डी, नरेला, दिल्ली-40. 2082-डी, अजाज नगई, नरेला, दिल्ली-10.

*Saujeet*  
Off. of Agriculture  
4B, Sham Nath Marg,  
Delhi-110054

5.	लाईसंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से कृषि विभाग, नजफगढ़ के दो सदस्य	1. श्री विजय कुमार गुप्ता 2. श्री हरेन्द्र सिंघल	बी-32, विजय मार्ग, नया बाजार, नजफगढ़, दिल्ली-43. 681, गली जैन मंदिर, नजफगढ़, दिल्ली-43.
6.	लाईसंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से कृषि विभाग (शाहदरा) गाजीपुर के दो सदस्य	1. श्री सुकेश शर्मा 2. श्री जगदीश लाल बजाज	1/15, गली नं० 5, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32. *90 ए/1ए गली नं. 15ए भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली
7.	लाईसंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से मुस्य विपणन समिति आई.एफ.सी., गाजीपुर के दो सदस्य	1. श्री तेज सिंह 2. श्री कृष्ण कुमार	ई-177, अशोक विहार फेस-1, ई ब्लॉक, दिल्ली-52. मपनं० 14/458, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली-62
8.	लाईसंसधारी तालाबों और मयकों में से कृषि विभाग, नरेला का एक सदस्य	श्री रंजीत सिंह	दुकान नं. 2038, पुराने अनाज मण्डी, नरेला, दिल्ली-40
9.	लाईसंसधारी तालाबों और मयकों में से कृषि विभाग, नजफगढ़ का एक सदस्य	श्री रमवीर शर्मा	र-30, अनाज मण्डी नजफगढ़, दिल्ली-43

आदेश से

*Saini*

सानी मिताल,  
निदेशक (कृषि विपणन)  
DIRECTOR  
Dir. of Agricultural Marketing  
A-1, Sham Nathi Waza  
Delhi-110054